ग्राम जैदा की 4 बीघा भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 2 अप्रैल। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा द्वारा श्योपुर तहसील के ग्राम जैदा की लगभग 4 बीघा भूमि को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भूमि की कीमत डेढ करोड से अधिक अनुमानित है।

कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार डेढ़ करोड़ कीमत है भूमि

पारित आदेश के अनुसार ग्राम जैदा के सर्वे नंबर 109/13 रकबा 0.8670 हेक्टयर चरनोई भूमि को काबिलकास्त करे बगैर 1975-76 में मदन पुत्र मंगला जाटव के नाम पट्टा किया गया था। वर्ष 1993 में पट्टाधारी को तत्कालीन तहसीलदार के आदेश से भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन बगैर सक्षम अधिकारी (कलेक्टर) की अनुमति के वर्ष 1994 में भूमि का विक्रय कर दिया गया, जो कि मध्यप्रदेश राजस्व भू-संहिता 1959 की धारा 158(3) एवं 165(7-ख) का उल्लघन है।

डिप्टी कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेखों के सूक्ष्म परिशीलन से यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि मूलत: शासकीय चरनोई पडाव मद की निस्तार की भूमि थी, जिसे कूटरचना एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के घोर उल्लंघन के माध्यम से निजी स्वामित्व में परिवर्तित किया गया है। भूमि मूलत: चरनोई थी, तहसीलदार का आदेश दिनांक 4.11.1993 अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है, और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि का विक्रय संहिता की धारा 158(3) एवं 165(7-ख) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

तहसीलदार श्योपुर को किया आदेशित

न्यायालय कलेक्टर द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गयाा है कि तत्कालीन तहसीलदार परगना श्योपुर द्वारा मदन पुत्र मंगला के पक्ष में पारित वह आदेश, जिसके माध्यम से उसे बिना किसी प्रतिबंध के भूमिस्वामी घोषित किया गया था, विधिक त्रुटि और अधिकारिता के अभाव के कारण प्रारंभ से ही शून्य घोषित किया जाता है। ग्राम जैदा की सर्वे नं. 109/13 रकबा 0 .8670 है. के राजस्व अभिलेखों में दर्ज श्रीमती संतोष गर्ग पत्नि श्री सत्यनारायण गर्ग एवं श्रीमती मनीषा गर्ग पत्नि श्री निशांत गर्ग निवासीगण वार्ड नंबर 14 श्योपुर के नामों को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेखों में पुन: मध्य प्रदेश शासन मद चरनोई पडाव के रूप में दर्ज कर शासकीय मद में बहाल करने के आदेश दिया गया है। खसरा अभिलेख से विक्रय से वर्जित की लाल स्याही की टीप को बिना आदेश विलोपित करने वाले संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु तहसीलदार श्योपुर को आदेशित किया गया है। तहसीलदार श्योपुर को इस आदेश के क्रियान्वयन यथा अभिलेखों में अमल एवं कब्जा प्राप्ति का पालन प्रतिवेदन आगामी 7 दिवस के भीतर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

आठ लोगों ने मिलकर एक की कुल्हाड़ी से मारपीट की

श्योपुर, 2 अप्रैल। थाना विजयपुर मारपीट फरि. मुकेश पुत्र मुरारी जाटव उम्र 32 साल नि. ग्राम खितरपाल थाना विजयपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 31.03.26 के 09.15 से 09.30 बजे स्थान फरि. के पुराने घर के बाहर ग्राम खितरपाल पर आरोपीगण, माखन रावत पुत्र चौखेराम रावत, चौखेराम रावत पुत्र आनंद रावत, धीरा रावत पुत्र चौखेराम रावत, बन्टी रावत पुत्र चौखेराम, बलुआ रावत पुत्र राजाराम, बल्लूराम पुत्र चौखेराम रावत, राडुआ रावत नि. गण. खितरपाल रावत थाना विजयपुर ने पुरानी 02 बिस्बा जमीन की जगह को लेकर फरि. व फरि. के परिवार बालो को एक राय होकर जातिसूचक गाली गलोच कर लाठी- कुल्हाड़ी से मारपीट जान से मारने की धमकी दी। दि. 31.03.26 के 13.03 बजे अप. क्र. 107/26 115(2), 118(1),351(3), 296(ए), 3(5), 191(2), 191(3), 190 धारा बीएनएस 3(1)द, 3(1)ध,3(2) व्ही, एससी/एसटी एक्ट कायम कर लिया है।

अक्षय तृतीया पर 19 को होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 2 अप्रैल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से वार्षिक चक्रीय क्रम में सामुहिक विवाहों के आयोजन के लिए निर्धारित तिथियों के क्रम में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी निकायो में सामुहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। उक्त योजना में लाभ लेने के लिए संबंधित अभिभावक विवाह सम्मेलन के लिए नियत तिथि 19 अप्रैल से 15 दिवस पूर्व 04 अप्रैल तक संबंधित निकायो में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

4 अप्रैल तक संबंधित निकायों में करें आवेदन

उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती शशिकिरण इक्का ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को समस्त निकायों अर्थात सभी जनपद पंचायतो एवं नगरपालिकाओं द्वारा सामुहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त तिथि पर आयोजित सामुहिक विवाह सम्मेलन अंतर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभिभावक अपने आवेदन 4 अप्रैल तक संबंधित जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायो में जमा करा सकते है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा देवउठनी ग्यारस (तुलसी विवाह) के अवसर पर 20 नवंबर 2026 तथा बंसत पंचमी के अवसर पर 11 फरवरी 2027 को सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किये जायेगे। उक्त तिथियों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक अभिभावक अपने आवेदन आयोजन तिथि से 15 दिवस पूर्व तक संबंधित निकायों में जमा करा सकते है। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

पुरानी रंजिश की बात पर मारपीट

श्योपुर, 2 अप्रैल। थाना ढोढर मारपीट फरि. भूरिया पुत्र प्रभूलाल गुर्जर उम्र 34 साल नि. ग्राम बिलौनी ने रिपोर्ट की कि दि. 30 .03 .26 के 17 .00 बजे स्थान रामजीलाल माली के घर सामने ग्राम खिरखिरी आरोपीगण, मदन उर्फ काडिया गुर्जर, रामलखन उर्फलालू गुर्जर नि .गण बिलौनी, सत्यनारायण गुर्जर नि. ग्राम बगदिया ने फरि को पुरानी रंजिश की बात पर से मां बहन की गन्दी-गन्दी गालियां दी मारपीट कर चोट पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी । दि. 30 .03 .26 के 18 .27 बजे अप. क्र. 26/26 धारा 115 (2), 296 (बी),351 (3),3(5) बीएनएस कायम कर लिया है।

कन्या परिसर में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा 10 को

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 2 अप्रैल। जनजातीय कार्य विभाग अतंर्गत संचालित विशिष्ट आवासीय संस्था माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर ढेगदा श्योपुर में सत्र 2026-27 हेतु अनुसूचित जनजाति छात्राओं को कक्षा वार रिक्त सीटो पर ऑफ्लाइन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिये जाने हेतु प्रक्रिया संचालित है तथा ऑफ्लाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र गत 1 अप्रैल से विद्यालय में प्राप्त किये जा रहे है।

कक्षा 6 में प्रवेश ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगा

उन्होंने बताया कि विद्यालय की कक्षा 6 में रिक्त 70 सीटो के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संपन्न होगी, जबकि विद्यालय की कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की रिक्त सीटो पर प्रवेश के लिए विद्यालय द्वारा 10 संस्था स्तर पर परीक्षा 10 अप्रैल को होगी।

प्राचार्य सुश्री कामिनी पाठक ने बताया कि रिक्त सीटों पर प्रवेश ऑफ्लाइन परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर दिया जायेगा। उन्होने बताया कि कक्षा 6वी में प्रवेश ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मिलेगा, जबकि कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की कक्षाओं में रिक्त सीटो के लिए आवेदन जमा कराये जा सकते है। अप्रैल को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। उन्होने बताया कि कक्षा 7 में 14, कक्षा 8 में 16, कक्षा 9 में 28, कक्षा 10 में 43, कक्षा 11 में 45 तथा कक्षा 12 में 57 सीटे रिक्त है। कक्षा 11वी एवं 12वी अंतर्गत कला एवं विज्ञान समूह में प्रवेश दिया जायेगा।

सिगरेट पीने की बात पर मारपीट : श्योपुर। थाना वीरपुर मारपीट फरि. रुपसिंह पुत्र मांगीलाल रावत उम्र 37 साल नि. भैरुपुरा ने रिपोर्ट की कि दि. 30.03.26 के 19.00 बजे स्थान हनुमान जी मंदिर के पास भैंरुपुरा आरोपी गोलू पुत्र मुकेश रावत नि. सदर ने फरि को सिगरेट पीने की बात पर से मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी।

बंधाली में जल प्याऊ का हुआ शुभारम्भ

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 2 अप्रैल। कलेक्टर वर्मा के मार्गदर्शन तथा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान के क्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था श्री सतगुरु शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति नीमोदा मठ द्वारा द्वारा ग्राम बंधाली में जल मंदिर (प्याऊ) का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम के तहत च्जल शक्ति से नव भक्तिज्ञ पहल अंतर्गत समन्वयक श्रीमती नेहा सिंह, विकासखंड समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम द्वारा विधिवत पूजन-अर्चन कर जल मंदिर की शुरूआत की गई, इस अवसर पर जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु रैली भी निकाली गई।

ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से 30 जून तक संचालित किया जा रहा है, अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों का पूजन, साफ-सफाई, गहरीकरण, सामूहिक श्रमदान, रैली एवं संगोष्ठियों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि एवं एमएसडब्ल्यू के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नवांकुर संस्था कल्याण मारू द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन प्रस्फुटन समिति बंधाली अध्यक्ष पुरान मारू ने किया।

एक नजर में

सेसईपुरा में जल प्याऊ का शुभारंभ

श्योपुर, 2 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन तथा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान के क्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था मानव फाउंडेशन समिति द्वारा ग्राम सेसईपुरा में टिकटोली चौराहे के पास जल मंदिर (प्याऊ) का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत च्जल शक्ति से नव भक्तिज्ञ पहल अंतर्गत विकासखंड समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम द्वारा विधिवत पूजन-अर्चन कर जल मंदिर की शुरूआत की गई, इस अवसर पर जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु रैली भी निकाली गई। ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से 30 जून तक संचालित किया जा रहा है, अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों का पूजन, साफ-सफाई, गहरीकरण, सामूहिक श्रमदान, रैली एवं संगोष्ठियों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि एवं एमएसडब्ल्यू के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नवांकुर संस्था के रामगोपाल गुर्जर द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष श्री दिनेश जाटव ने किया।

गाड़ी अनियंत्रित होकर टकराई, 1 की मौत

श्योपुर। थाना बरगवां सडक दर्घटना में मृत्यु फरि. लालजी पुत्र भौंक रावत उम्र 50 साल नि. माता का पुरा भौगस ने रिपोर्ट की कि दि. 30 .03 .26 के 10 .30 बजे स्थान मुरैना गोरस रोड बुढेरा के पास बडी पुलिया आरोपी बोलेरो क्र. डच्3 1न्7873 का चालक ने अपनी गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर जा रहा था तभी अचानक जंगल से नील गाय गाडी को फांकते हुये निकली जिससे गाडी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई जिससे ड्राइवर सोनू पुत्र पप्पू जाटव उम्र 24 साल नि. श्यामपुर वीरपुर की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं 04 अन्य लोग घायल हो गये । दि. 30 .03 .26 के 20 .48 बजे अप. क्र. 18/26 धारा 106(1),281,125(ए) बीएनएस (मर्ग क्र. 04/26 धारा 194 बीएनएस) कायम कर लिया है।

पैसों के लेनदेन पर मारपीट

श्योपुर। थाना बडौदा मारपीट फरि. गणेश पुत्र जगदीश सुमन उम्र 19 साल नि. वार्ड क्र. 11 कटेला कुआं बडौदा ने रिपोर्ट की कि दि. 30 .03 .26 के 19 .30 बजे स्थान फरि. के घर के बाहर वार्ड क्र. 11 आरोपीगण, हरिभजन, जयराम, लोकेश जातिगण सुमन नि. गण सदर ने फरि को मां के पैसो के लेनदेन की बात पर से मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट कर चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी दी । दि. 30 .03 .26 के 20 .45 बजे अप. क्र. 66/26 धारा 115 (2),296 (ए),351(2),3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

गाली गलौच कर मारपीट

श्योपुर। थाना विजयपुर मारपीट फरिया. संतोबाई पत्नी घनश्याम कर्ण उम्र 50 साल नि. अस्पताल के सामने विजयपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 30 .03 .26 के 20 .15 बजे स्थान फरि. के घर के सामने राठौर गली अस्पताल के सामने आरोपीगण, प्रदीप कर्ण, रामदयाल कर्ण नि .गण अस्पताल के सामने विजयपुर ने फरि. के साथ गाली गलौच करने की बात पर से मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी।

मारपीट का मामला दर्ज

श्योपुर। थाना विजयपुर मारपीट फरिया. भारती पत्नी प्रकाश कुशवाह उम्र 30 साल नि. डाबीपुरा ने रिपोर्ट की कि दि. 30 .03 .26 के 19 .00 बजे स्थान फरि. का घर डाबीपुरा आरोपीगण, गब्बर कुशवाह, सुनील कुशवाह, पूनम कुशवाह, ममता कुशवाह नि .गण कुल्होली सबलगढ मुरैना ने फरिया को उधारी के पैसे लेनदेन की बात पर से मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । दि. 30 .03 .26 के 23 .07 बजे अप. क्र. 106/26 धारा 115 (2),296 (ए),351(3),3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

एडीएम ने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 2 अप्रैल। कलेक्टर के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय द्वारा संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भवन की छत, रिकॉर्ड कक्ष, मॉडल रिकॉर्ड रूम एवं ई-दक्ष केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

एडीएम रुपेश उपाध्याय ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। रिकॉर्ड कक्ष में फाइलों के सुव्यवस्थित रख-

रखाव, अनावश्यक अभिलेखों के निष्पादन तथा नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। मॉडल रिकॉर्ड रूम में आवश्यक मरम्मत एवं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। ई-दक्ष केंद्र में प्रशिक्षण एवं साफ-सफाई की स्थिति सुधारने के लिए भी संबंधितों को निर्देशित किया गया।

एडीएम ने कहा कि शासकीय कार्यालयों में सुव्यवस्थित व्यवस्था एवं स्वच्छता बनाए रखना प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अग्निवीर सेना भर्ती के लिए नामांकन प्रारंभ

श्योपुर, 2 अप्रैल। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत अग्निवीर (पुरुष) जी.डी., एस.के.टी., टेक्निकल, ट्रेड्समैन (8वीं एवं 10वीं), महिला सेना पुलिस के साथ-साथ स्थायी पदों के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेट एवं सिपाही फार्मा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 10 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

सेना भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की विशेष वृद्धि की गई है। अग्निवीर पदों के लिए 01 जुलाई 2005 से 01 जुलाई 2009 के बीच जन्मे युवा पात्र होंगे, जबकि स्थायी पदों के लिए 01 जुलाई 2004 से 01 जुलाई 2009 के मध्य जन्मे अभ्यर्थी पंजीकरण कर सकेंगे। यह निर्णय युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट ूरवपदपदकपंदंतउल.दपब.पद पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय, महू से दूरभाष क्रमांक 7648815570 पर संपर्क कर सकते हैं।

जल्दी पेट्रोल न डालने की बात पर मारपीट

श्योपुर, 2 अप्रैल। थाना गसवानी मारपीट फरि दयाल यादव पुत्र मांगी लाल यादव उम्र 25 साल नि. ग्राम सिमरई थाना चिलवानी ने रिपोर्ट की कि पीताम्बरा द्वारिका धीरा पेट्रोल पम्प गसवानी पर आरोपी गब्बर यादव नि. ग्राम सिमरई थान चिलवानी ने फरि. को मो.सा. में जल्दी पेट्रोल न डालने की बात के ऊपर से गालिया देकर मारपीट की।

गोपालपुरा में जल संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 2 अप्रैल। कलेक्टर के मार्गदर्शन में विजयपुर ब्लॉक के ग्राम गोपालपुरा में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा ग्रामीणों के सहयोग से पेयजल टंकी की साफ-सफाई हेतु श्रमदान किया गया।

इस अवसर पर सरपंच अमर सिंह कुशवाह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से एसडीओ आरपी सेंगर, पंचायत विभाग से अभिनंदन भदौरिया, सब इंजीनियर देवेन्द्र बंसल, राजेन्द्र गुप्ता, आईएसए कार्डिनेटर नीरज श्रीवास्तव, विनोद जांगिड आदि उपस्थित रहे। जल संरक्षण पर आयोजित उक्त कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को जल का महत्व बताते हुए जल का अपव्यय रोकने तथा वर्षा जल का संचयन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही पेयजल स्त्रोतों की नियमित रूप से साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि माह में एक बार पेयजल की जांच स्कूल एवं आंगनबाड़ी पर उपलब्ध जल स्वच्छता किट के माध्यम से कराई जायें।

गैस, बिजली, पेट्रोल संकट पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा

नवभारत न्यूज
विजयपुर, 2 अप्रैल। विजयपुर क्षेत्र में बढ़ती महंगाई, गैस-बिजली दरों में वृद्धि और पेट्रोल-डीजल की किल्लत से परेशान जनता अब खुलकर आवाज उठाने लगी है। सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयपुर ने तहसील पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और जनसमस्याओं को तत्काल हल करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते पहले ही जनता महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी, बिजली बिलों का बढ़ता बोझ और पेट्रोल-डीजल की अनियमित उपलब्धता आमजन के जीवन को और कठिन बना रही है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि क्षेत्र में गैस आपूर्ति अनियमित है, जिससे लोग समय पर गैस नहीं भरवा पा रहे। स्मार्ट मीटर और बढ़ी बिजली दरों ने उपभोक्ताओं के बिलों में असामान्य वृद्धि कर दी है, जबकि पेट्रोल-डीजल की कमी से किसान वर्ग की खेती-किसानी पर गंभीर असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो समिति उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।

किसानों और आमजन की बढ़ती मुश्किलों पर जताई गंभीर चिंता

ज्ञापन में प्रमुख मांगें : गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतें तुरंत वापस ली जाएं।

बिजली दरों में की गई वृद्धि पर रोक लगाई जाए, पेट्रोल-डीजल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू किया जाए, आमजन और किसानों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

इनका कहना है...

गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बिजली बिलों में मनमानी वसूली की जा रही है। किसानों को पेट्रोल-डीजल के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। सरकार जनता की पीड़ा से पूरी तरह अनजान बनी हुई है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम शांत नहीं बैठने वाले।

- हरिकिशन कुशवाह
ब्लॉक अध्यक्ष कॉग्रेस पार्टी विजयपुर

रसोई गैस की अनियमित आपूर्ति, बिजली के बढ़े बिल और पेट्रोल-डीजल संकट ने हर वर्ग को परेशान कर दिया है। कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़क से लेकर शासन तक लड़ने के लिए तैयार है। यदि शासन ने जल्द व्यवस्था नहीं सुधारी, तो उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

- महेश कुशवाह (ढावा वाले) जिला उपाध्यक्ष श्योपुर

कार्यालय जनपद पंचायत विजयपुर जिला -श्योपुर (म.प्र.)
(Email Ceojpvij@rediffmail)

क्रमांक/ज.पं.सा. न्याय. /2025/-1285 विजयपुर दिनांक 2/4/26

जनपद पंचायत विजयपुर अंतर्गत दिनांक 19.4.2026 एवं दिनांक 1.5.2026 में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना है. उक्त कार्यक्रम में कन्याओं के विवाह हेतु व्यवस्था किया जाना है जिसके लिये निम्न सामग्री की आवश्यकता है.

निविदा आमंत्रण प्रारूप

क्र.	सामग्री का विवरण	प्रति नग/रेट दर
1.	टेन्ट 15×20 मय विछावर सहित प्रति नग	
2.	मंच 20×15 मय सजावट के	
3.	माइक सेट प्रति नग कोर्ड बेस सहित	
4.	तुरई प्रति नग	
5.	फोटो ग्राफी प्रति फोटो नग	
6.	भोजन पेकेट प्रति नग	
7.	कुर्सी प्रति नग	
8.	टेबल प्रति नग	

प्रति नग न्यूनतम दरों वाले प्रस्तुत कर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी
निविदा जमा करने की दिनांक 07.04.2026 से दिनांक 09.04.2026
निविदा खुलने की दिनांक 13.04.2026

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत विजयपुर